

## म्याँमार में गृहयुद्ध

### प्रलिम्स के लिये:

म्याँमार में गृहयुद्ध, 1946 का वदिशी अधनियिम, शरणार्थी

### मेन्स के लिये:

म्याँमार में गृहयुद्ध, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में म्याँमार में चल रहे गृहयुद्ध के कारण **म्याँमार की सेना और मज़ोरम** से लगे पश्चिमी चिन राज्य में **लोकतंत्र समर्थक मलिशिया** के बीच तीव्र गोलीबारी के बाद म्याँमार के 1,500 नागरिकों ने मज़ोरम के चम्फाई ज़िले में शरण ली।

//





## गृहयुद्ध क्या है?

- गृहयुद्ध एक ही देश या राष्ट्र के भीतर संगठित समूहों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है।
- इसमें अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक मत वाले गुटों या समूहों के बीच सशस्त्र टकराव शामिल है, जो देश के शासन, क्षेत्र या संसाधनों पर नियंत्रण या प्रभुत्व के लिये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

## म्यांमार में वर्तमान गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि क्या है?

- **2020 का चुनाव और सैन्य तख्तापलट:**
  - नवंबर 2020 के चुनाव में आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi's) की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने चुनाव जीता। हालाँकि सैन्य जुंटा (Military Junta), जिसे टाटमाडॉ (Tatmadaw) के नाम से जाना जाता है, ने बिना पर्याप्त सबूत के चुनावी धोखाधड़ी का दावा करते हुए चुनाव परिणामों को खारज़ि कर दिया।
  - फरवरी 2021 में सेना ने तख्तापलट किया, आंग सान सू की और अन्य निर्वाचित नेताओं को हरिसत में ले लिया, आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई तथा सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
- **वरोध तथा प्रतिरोध:**
  - तख्तापलट के बाद पूरे म्यांमार में व्यापक वरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, नागरिकों ने लोकतंत्र की बहाली तथा हरिसत में लिये गए नेताओं की रद्दी की मांग की।

- सविलि सेवक, कार्यकरत्ता तथा वभिनिन समूह **हडताल एवं प्रदर्शन** करते हुए सवनिय अवज्जा आंदोलन में शामिल हुए।
- **प्रतरीध हेतु बलों का गठन:**
  - टाटमाडॉ (Tatmadaw) द्वारा असहमतपर अपनी कार्रवाई तेज़ करते ही **एथनकि आर्मड ऑर्गेनाइज़ेशंस (EAO)** तथा सशस्त्र नागरिकों सहति वपिकषी समूहों ने सैन्य जुंटा का वरीध करने के लयि **पीपुलस डफिंस फोरसेज़ (PDF)** का गठन कयि।
  - इन समूहों ने सेना के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से अपदस्थ सांसदों द्वारा स्थापति **नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG)** का समर्थन कयि।
- **वर्तमान परदृश्य:**
  - देश के अनय हसिसों, जैसे- राखीन राज्य, कायनि राज्य, मणपुरि की सीमा से लगे सांगांग
  - कषेत्र तथा मज़ोरम की सीमा से लगे चनि राज्य में भी वभिनिन स्थानीय प्रतरीध बलों के नेतृत्व में संघर्ष की स्थति उत्पन्न हुई है।

## म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध का भारत के लयि क्या अर्थ है?

- **संतुलति रुख:**
  - भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र के "व्यवधान" पर चति व्यक्त करने तथाउसके **"महत्त्वपूर्ण हति"** की रक्षा के लयि जुंटा का सहयोग करने के बीच अब तक संतुलन स्थापति कर रखा है।
- **भारत के लयि तात्कालकि चति:**
  - पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में म्यांमार के नागरिकों का प्रवेश।
  - वह भी ऐसे समय में जब मणपुरि में स्थति अस्थिर बनी हुई है।
- **वदिरोहियों द्वारा दो प्रमुख नगरों पर कब्ज़ा:**
  - जुंटा वरीधी ताकतों ने म्यांमार और भारत के बीच केवल दो सीमा पार बडुओं के करीब दो महत्त्वपूर्ण शहरों पर कब्ज़ा कर लयि है। ये हैं:
    - रखावदार, मज़ोरम में जोखावथर के करीब और
    - मणपुरि में मोरेह से लगभग 60 कमी. दूर सांगांग कषेत्र में खम्पट।
  - उत्तरारध (सांगांग कषेत्र में खम्पट) में भी प्रस्तावति भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रपिकषीय राजमार्ग परयोजना का हसिसा है।

## शरणार्थियों से नपिटने के लयि भारत में वर्तमान वधायी ढाँचा क्या है?

- भारत सभी वदिशियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे **अवैध अप्रवासी हों, शरणार्थी** या वीज़ा परमटि से अधिक समय तक रहने वाले हों।
  - **1946 का वदिशी अधनियम:** धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध वदिशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासति करने का अधिकार है।
  - **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम, 1920:** धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संवधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत कसी अवैध वदिशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
  - **वदिशियों का पंजीकरण अधनियम 1939:** इसके तहत एक अनविरय आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालकि वीज़ा (**180 दिनों से अधिक**) पर भारत आने वाले सभी वदिशी नागरिकों (भारत के वदिशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर खुद को जीकरण अधिकारी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।
  - **नागरकिता अधनियम, 1955:** इसमें नागरकिता के त्याग, समाप्त और वंचति करने के प्रावधान प्रदान कयि गए।
    - इसके अलावा **नागरकिता संशोधन अधनियम, 2019 (CAA)** बांग्लादेश, पाकसितान और अफगानसितान में सताए गए हद्दि, ईसाई, जैन, पारसी, सखि तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरकिता प्रदान करना चाहता है।
- भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले वदिशी नागरिकों से नपिटने के लयि सभी संबंधति एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली **एक मानक संचालन प्रक्रया (SOP)** जारी की है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचार कीजयि: (2016)

	समाचारों में कभी-कभी उल्लखिति समुदाय	कसिके मामलों में
1.	कूरद	बांग्लादेश
2.	मधेसी	नेपाल
3.	रोहगिया	म्यांमार

उपर्युक्त युगों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन कसि प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/civil-war-in-myanmar>

